कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी

पत्रांकः—सीएफओ—बीबीके / पी—05 / 2022 दिनांकःफरवरी 18 ,2022

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

विषयः मेसर्स रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा ग्राम—भीखरपुर, तहसील —रामसनेही घाट, जनपद—बाराबंकी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन व्यवस्था के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्याः 08 / शस्त्र लिपिक / 2021पे0प0एन0ओ0सी0 दिनाकः 15. 02.2022 के आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि मेसर्स रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड, के द्वारा ग्राम—भीखरपुर, तहसील—रामसनेही घाट, जनपद—बाराबंकी पर मेसर्स सरिता स्पीडवेज, प्रो0 श्रीमती सरिता शर्मा निवासी— हाउस नं0—ए—131 डी.एल. एफ. गार्डेन सिटी, पुरसेनी, मोहनलालगंज लखनऊ उ0प्र0—227305 को प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु उक्त प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण / परीक्षण कराया गया तो निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः—

एरिया का विवरणः—

1. प्रस्तावित रिटेल आउट लेट मानचित्र के अनुसार हैदरगढ से रामसनेही घाट मार्ग पर ग्राम भीखरपुर की भूमि का निरीक्षण श्री सुधीर कुमार शर्मा के द्वारा कराया गया।
2. प्रस्तावित स्थल तक अग्निशमन विभाग के वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं।
3. रिटेल आउट लेट के लिए कुल प्रस्तावित भूखण्ड एरिया 3437.50 वर्गमीटर है।
4. प्रस्तावित रिटेल आउट लेट में प्रवेश एवं निकास पृथक—पृथक प्रस्तावित है प्रत्येक की चौड़ाई 12.00 मीटर है।

प्रस्तावित अग्निसुरक्षा पद्धति :—

1. ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 किग्रा0 प्रति डिस्पेसिंग प्वांइट हेतु 02 अदद आईएसआई मार्का।
2. सी0ओ0टू फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा0 02 अदद आईएसआई मार्का।
3. ए0एफ0एफ0एफ0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 09 ली0 04 अदद आईएसआई मार्का।
4. सैंण्ट फायर बकेट राउण्ड बाटम टाइप 08 अदद।
5. बालू का ढेर 100 घनफुट।
6. जेल ब्लैकिट 01 अदद।
7. धूम्रपान निषेध एवं आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का बोर्ड आवश्यकतानुसार।

Pankaj Singh
For Reliance BP Mobility Limited
14/6/22
Authorised Signatory

क्रमशः पेज संख्या....2 पर

8. प्रस्तावित भूमि/भवन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर विद्युत व्यवस्था का व्यवस्थापन का परीक्षण विद्युत सुरक्षा विभाग से करा लिया जाय।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का पालन किये जाने की शर्त के साथ आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। संचालन से पूर्व प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण कराकर अन्तिम स्थाई अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निर्गत आख्या स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आख्या केवल अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए ही मान्य होगी।

(आर0पी0 राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बाराबंकी

प्रतिलिपिः–श्रीमती सरिता शर्मा निवासी– हाउंस नं0–ए–131 डी.एल.एफ. गार्डेन सिटी, पुरसेनी, मोहनलालगंज लखनऊ उ0प्र0–227305 को को सूचनार्थ एवं तदानुसार अनुपालनार्थ।

Pankaj Singh
For Reliance BP Mobility Limited
14/6/22
Authorised Signatory